INDEX

Sr. No.	Subject	Page No.
1	Reply of starred question No. *14/14/287 in English	1
2	Note for Pad in English	2-4
3	Reply of starred question No. *14/14/287 in Hindi	5
4	Note for the Pad in Hindi	6-8

Benefits of New Bond Policy for MBBS Students

*** 14/14/287- SH. BALRAJ KUNDU, Mehem:** Will the Medical Education Minister be pleased to state:-

a) whether the bond policy of Government for MBBS Degree is beneficial for poor students in State; if so, the details thereof;

b) the total number of the Medical Officers recruited by the Government in State from the year 2014 till to date togetherwith the total number of MBBS students passed out from the Government and Private Institutions during the said period in State; and

c) the total number of permanent and temporary medical officers recruited by the Government in State during the period mentioned in at (b) above togetherwith the details thereof?

Reply:

Sh. Anil Vij, Medical Education Minister, Haryana:

a) Yes Sir.

The new bond policy will provide employment opportunities to all students passing out from Government/Government Aided Medical Colleges in the State of Haryana.

b) Yes sir.

- A total of 2815 Medical Officers have joined in Department of Health from the year 2014 to till date.
- A total of 526 Medical Officers have joined in National Health Mission, Haryana on contractual basis from the year 2014 to till date.
- A total of 29 Medical Officers have been recruited in Government Medical Colleges from the year 2014 to till date.
- A total of 5967 MBBS Students have passed out from the Government and Private Institutions during the said period in the State.

c) Yes Sir.

Department	**Regular/contractual**	**Status from 2014 to till date**
DGHS	Regular	2815
NHM	Contractual	526
Govt. Medical Colleges	Regular	29
Total	**2844 (Regular) & 526 (contractual) Medical Officers have joined in Health & Medical Education Department from 2014 till date**	

NOTE FOR THE PAD

Public Health has always been dealing with lack of trained medical professionals. Covid-19 pandemic further exposed the extreme fragility of our health system and shortage of trained medical professionals in Government Sector. The recommended Doctor Patient ratio by WHO is 01:1000 and the Government is trying hard to achieve this ideal ratio in the State.

The Government with '**Service Incentive Bond'** policy has come up with an innovative strategy to Incentivize Doctors to opt for Government Service and ensure that specialist services are available to all sections of society. The policy will provide employment opportunities to all students passing out from Government/Government Aided Medical Colleges in the State of Haryana to work in Government sector. The policy is beneficial for poor students. There is no finanial burden on the students or on the family of the student. The salient features of the policy are enumerated as under –

Bond Amount

The Bond amount is Rs 30 lakh - *Minus* Total Annual Fee with a concession of 10% on bond amount for female candidates. Accordingly, the bond amount is as under –

Institute	**Bond amount for Male candidates**	**Bond amount for Female candidates (10% lesser)**
Government Medical Colleges	25,77,090/-	23,19,381
Government Aided Medical College (MAMC, Agroha)	21,90,000/-	19,71,000

The bond shall be in the shape of a collateral free education loan as per amount specified above.

Bond Duration

The total duration of Service Incentive Bond is FIVE YEARS starting from completion of MBBS course.The period of Post Graduation shall count towards the total period of service bond and will be accordingly deducted from 05 years.

Service

- All candidates shall be offered *'Contractual service' in Public health institutions/ Government/Government aided Medical Colleges* within 01 year of completion of MBBS course.
- Candidates will be at liberty to appear for any Central /State Government service including Judicial Services /Armed forces etc.

List of Conditions when student does not have to pay the bond amount

- The Service Incentive Bond shall be implemented after completion of MBBS course. One year moratorium period shall be provided.
- Candidate is not required to re-pay any amount pertaining to the Bond during the period of study including period of Post Graduation.
- The State Government shall repay the monthly installments of the loan (both principal and interest) till the time candidate is serving in the Public Health Institutions / Government/ Government aided Medical Colleges of Government of Haryana in 'Permanent' or 'Contractual service'.
- If candidate is NOT able to secure a regular/contractual employment with the Government even after one year, the loan repayment of such candidates shall also be made by the Government of Haryana.
- The Policy shall not be applicable in the unfortunate event of death/insanity/permanent disability of the candidate.
- Privately/Self employed Candidate earning less than the initial salary of Medical officer with Government of Haryana.
- Privately/Self employed Candidate earning more than the initial salary of Medical officer with Government of Haryana but less than 1.5 times of such salary- State Government shall make the repayment against the equivalent component of salary.

The candidate has to make payment at his/her own level only in following conditions:-

- When the candidate chooses NOT to join any Government Service, either permanent/contractual when offered the service.
- Privately/Self employed Candidate earning more than 1.5 times of initial salary of Medical Officer with Government of Haryana.
- If Candidate leaves the Government service (Regular/Contractual) at any time before the bond period expires. The amount shall be calculated on a pro-rata basis and candidate can repay the remaining amount in a lump sum basis or installments.

The objective of the policy is to incentivize the students to work in Government Sector.

A total of 3370 (2815 in Health Department and 29 in Govt. Medical Colleges on regular basis and 526 under NHM on contractual basis) have joined as Medical Officers in Department of Health and Medical Education from the year 2014 to till date.

The detail status from 2014 to till date is as under:-

Department of Health

Sr. No.	Year of Recruitment	Offered appointment to number of candidates	Joined
1	2014	350	327
2	2015	389	308
3	2017	554	536
4	2020	954	954
5	2022	855	690
Total		**3102**	**2815**

National Health Mission, Haryana

Financial Year	Total no. of Contractual Medical Officers Recruited under NHM, Haryana	Total No. of Contractual Medical Officers joined under NHM, Haryana
2014-15	97	93
2015-16	56	52
2016-17	60	51
2017-18	67	59
2018-19	55	54
2019-20	71	68
2020-21	90	86
2021-22	74	63
Total	**570**	**526**

Further, 22 additional temporary Medical Officers under COVID-19 were hired in FY 2020-21 and 2021-22 upto 31.03.2022

Government Medical Colleges

A total of 29 Medical Officers have been recruited in Government Medical Colleges from 2014 to till date in the capacity of Medical Officers/Casualty Medical Officers/Lady Medical Officers. Additional Duty Medical Officers were hired during COVID-19 in Government Medical Colleges on contractual basis.

The year wise detail of total number of MBBS Students passed out from various Government and Private Medical Colleges from 2014 to till date are as under:-

Sr. No.	Year	Number of MBBS Students passed out
1	2014	347
2	2015	414
3	2016	603
4	2017	607
5	2018	604
6	2019	893
7	2020	846
8	2021	840
9	2022	813
Total		**5967**

एमबीबीएस छात्रों के लिए नई बॉन्ड पॉलिसी के लाभ

*14/14/287- श्री बलराज कुंडू, महमः क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

क) क्या राज्य में एमबीबीएस डिग्री के लिए सरकार की बांड नीति गरीब छात्रों के लिए फायदेमंद है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

ख) वर्ष 2014 से अब तक राज्य में सरकार द्वारा भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारियों की कुल संख्या और राज्य में उक्त अवधि के दौरान सरकारी और निजी संस्थानों से उत्तीर्ण एमबीबीएस छात्रों की कुल संख्याय और

ग) उपर्युक्त (ख) में उपरोक्त लिखित अवधि के दौरान राज्य में सरकार द्वारा भर्ती किए गए स्थायी और अस्थायी चिकित्सा अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्री अनिल विज, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हरियाणाः

क) हाँ, श्रीमान जी।

नई बॉन्ड नीति हरियाणा राज्य में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

ख) हाँ, श्रीमान जी।

- वर्ष 2014 से अब तक कुल 2815 चिकित्सा अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यभार ग्रहण किया है।
- वर्ष 2014 से अब तक कुल 526 चिकित्सा अधिकारियों ने अनुबंध के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा में कार्यभार ग्रहण किया है।
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2014 से अब तक कुल 29 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जा चुकी है।
- राज्य में उक्त अवधि के दौरान सरकारी और निजी संस्थानों से कुल 5967 एमबीबीएस छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।

ग) हाँ, श्रीमान जी।

विभाग	**स्थाई/अनुबंध**	**वर्ष 2014 से अब तक कुल**
DGHS	स्थाई	2815
NHM	अनुबंध	526
Govt. Medical Colleges	स्थाई	29
Total	2844 स्थाई और 526 अनुबंध चिकित्सा अधिकारीयों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में कार्य ग्रहण किया।	

पैड के लिए नोट

जन स्वास्थ्य प्राय प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। कोविड-19 महामारी ने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की अत्यधिक नाजुकता और सरकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की कमी को और उजागर कर दिया। डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित डॉक्टर रोगी अनुपात 01:1000 है और सरकार राज्य में इस आदर्श अनुपात को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

सरकार ष्सेवा प्रोत्साहन बॉन्ड नीति के साथ डॉक्टरों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव रणनीति लेकर आई है कि समाज के सभी वर्गों के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं। यह नीति हरियाणा राज्य में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। पॉलिसी गरीब छात्रों के लिए फायदेमंद है। छात्र या उसके परिवार पर किसी भी तरह का कोई वित्तीय बोझ नहीं आऐगा। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार गणनाकी गई हैं –

बॉन्ड राशि

बॉन्ड राशि 30 लाख रुपये है-महिला उम्मीदवारों के लिए बांड राशि पर 10 प्रतिशत की रियायत के साथ कुल वार्षिक शुल्क घटाकर तदानुसारए बॉन्ड राशि इस प्रकार है –

संस्थान	**पुरुष उम्मीदवारों के लिए बॉन्ड राशि**	**महिला उम्मीदवारों के लिए बॉन्ड राशि (10 % कम)**
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय	25,77,090/-	23,19,381
सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय (एमएएमसी, अग्रोहा)	21,90,000/-	19,71,000

बॉन्ड ऊपर निर्दिष्ट राशि के अनुसार गारंटी मुक्त शिक्षा ऋण के रूप में होगा।

बॉन्ड की अवधि

सेवा प्रोत्साहन बॉन्ड की कुल अवधि पांच साल है जो एमबीबीएस कोर्स पूरा होने के बाद शुरू होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की अवधि सेवा बांड की कुल अवधि की गणना की जाएगी और तदनुसार 05 साल से घटा दी जाएगी।

सेवा

- सभी उम्मीदवारों को एमबीबीएस कोर्स पूरा होने के **01** वर्ष के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में संविदा सेवा की पेशकश की जाएगी।
- उम्मीदवार न्यायिक सेवाओं, सशस्त्र बलों आदि सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगे।

शर्तों की सूची जब छात्र को बांड राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता:-

- एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद सेवा प्रोत्साहन बांड लागू किया जाएगा। एकवर्ष की अधिस्थगन अवधि प्रदान की जाएगी।
- पोस्ट ग्रेजुएशन की अवधि सहित अध्ययन की अवधि के दौरान उम्मीदवार को बॉन्ड से संबंधित किसी भी राशि का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

- राज्य सरकार ऋण की मासिक किस्तों (मूलधन और ब्याज दोनों) का भुगतान तब तक करेगी जब तक कि उम्मीदवार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, हरियाणा सरकार के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में 'स्थायी' या 'संविदा सेवा' में सेवा कर रहा हो।
- यदि उम्मीदवार एक वर्ष के बाद भी सरकार के साथ नियमित/संविदात्मक रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवारों की ऋण अदायगी भी हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी।
- उम्मीदवार की मृत्यु, पागलपन/स्थायी अक्षमता की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह बांड लागु नहीं होगा।
- हरियाणा सरकार के चिकित्सा अधिकारी के प्रारंभिक वेतन से कम आय वाले निजी/ स्व-नियोजित उम्मीदवार।
- निजी तौर पर, स्व-नियोजित उम्मीदवार हरियाणा सरकार के चिकित्सा अधिकारी के प्रारंभिक वेतन से अधिक लेकिन ऐसे वेतन के 1.5 गुना से कम कमाते हैं- राज्य सरकार वेतन के समकक्ष घटक के खिलाफ पुनर्भुगतान करेगी।

उम्मीदवार को अपने स्तर पर केवल निम्न स्थितियों में भुगतान करना होगाः-

- जब उम्मीदवार कोसरकारीस्थायी/संविदात्मक सेवा की पेशकश की जाती है और उम्मीदवार उसमें शामिल नही होने का विकल्प चुनता है।
- हरियाणा सरकार के चिकित्सा अधिकारी के प्रारंभिक वेतन के 1.5 गुना से अधिक वेतन पाने वाले निजी/स्व-नियोजित उम्मीदवार।
- यदि उम्मीदवार बांड की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय सरकारी सेवा (नियमित/संविदात्मक) छोड़ देता है। राशि की गणना यथानुपात आधार पर की जाएगी और उम्मीदवार शेष राशि का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकता है।

इस बॉन्ड का मकसद छात्रों को सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 से अब तक कुल 3370 चिकित्सा अधिकारियों (स्थाई 2815 स्वास्थ्य विभाग, 29 राजकीय मैडिकल कालेज तथा 526 अनुबंध आधार पर एन0एच0एम0 में) ने नियमित एवं संविदा आधार पर कार्यभार ग्रहण किया है। विवरण इस प्रकार हैः-

स्वास्थ्य विभाग

क्रम संख्या	**भर्ती का वर्ष**	**उम्मीदवारों की संख्या के लिए नियुक्ति की पेशकश की**	**नियुक्ति**
1	2014	350	327
2	2015	389	308
3	2017	554	536
4	2020	954	954
5	2022	855	690
	Total	3102	2815

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा

वित्तीय वर्ष	कुल संख्या एनएचएम, हरियाणा के तहत भर्ती संविदा चिकित्सा अधिकारियों की संख्या	एनएचएम, हरियाणा के तहत अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों की कुल संख्या
2014-15	97	93
2015-16	56	52
2016-17	60	51
2017-18	67	59
2018-19	55	54
2019-20	71	68
2020-21	90	86
2021-22	74	63
Total	**570**	**526**

इसके अलावा वित्त वर्ष 2020.21 और 2021.22 में 31/03/2022 तक कोविड–19 के तहत 22 अतिरिक्त अस्थायी चिकित्सा अधिकारियों को काम पर रखा गया था।

सरकारी मेडिकल कॉलेज

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2014 से अब तक कुल 29 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती जिसमें आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों, महिला चिकित्सा अधिकारियों के चिकित्सा अधिकारियों के तौर पर की गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 के दौरान अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।

2014 से अब तक विभिन्न सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण हुए एमबीबीएस छात्रों की कुल संख्या का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैः-

क्रम संख्या	वर्ष	एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1	2014	347
2	2015	414
3	2016	603
4	2017	607
5	2018	604
6	2019	893
7	2020	846
8	2021	840
9	2022	813
कुल संख्या		**5967**